



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 08/2026/D-400

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 325420 दिनांक 16/08/2026 को निम्नांकित भूखण्ड का Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Manju Gupta W/o Narayan Lal Gupta	श्री रतन सिंह पुरोहित पुत्र श्री बख्तावर सिंह पुरोहित	293	162.00 SQ. METER	JDA	SWARAN VIHAR	Issue Free Hold E- Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) Original Lease Deed (Patta)	आवेदिका श्रीमती मंजू गुप्ता पत्नी श्री नारायण लाल गुप्ता द्वारा जविप्रा की योजना स्वर्ण विहार के आवासीय भूखण्ड संख्या 293 क्षेत्रफल 162 व0मी0 का लीजहोल्ड से फ्री होल्ड पट्टे हेतु आवेदन किया गया है। आवेदित भूखण्ड का लीजहोल्ड पट्टा दिनांक 23.04.2012 को श्री रतन सिंह पुरोहित पुत्र श्री बख्तावर सिंह पुरोहित के नाम जारी किया गया था। लीजधारक द्वारा आवेदित भूखण्ड को पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 14.02.2019 के माध्यम से श्री प्रहलाद बलाई पुत्र



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

								श्री भूरालाल को बेचान किया गया है। क्रेता श्री प्रहलाद बलाई द्वारा आवेदित भूखण्ड को पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 11.02.2021 के माध्यम से श्रीमती ममता अग्रवाल पत्नी श्री राजेश कुमार अग्रवाल को बेचान किया गया है। क्रेता ममता अग्रवाल द्वारा आवेदित भूखण्ड को पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 05.05.2022 के माध्यम से श्रीमती बबली देवी पत्नी श्री पुरुषोत्तम लाल गुप्ता को बेचान किया गया है। क्रेता बबली देवी द्वारा आवेदित भूखण्ड को पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 08.10.2022 के माध्यम से श्रीमती मंजू गुप्ता पत्नी श्री नारायण लाल गुप्ता को बेचान किया गया है।
--	--	--	--	--	--	--	--	---

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

प्रतिलिपि:-

1. Manju Gupta W/o Narayan Lal Gupta को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे। प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें।